सत्यमेव जयते

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 370 **6 Baishakh, 1941(S)**

Ranchi, Friday, 26th April, 2019

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification

25th April, 2019

Notification No. - 8/2019 – State Tax(Rate)

S.O. No. 49 Dated 26th April, 2019 -- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub- section (5) of section 15 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand in the Department of Commercial Taxes, No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 31, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in Schedule III - 9%, after serial number 452P in column (1) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"452Q	Any chapter	Supply of any goods other than capital goods and cement falling under chapter heading 2523 in the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), by an unregistered person to a promoter for construction of the project on which tax is payable by the promoter as recipient of goods under sub- section 4 of section 9 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), as prescribed in notification No. 07/2019- State Tax (Rate), dated 26th April, 2019. *Explanation.* For the purpose of this entry,– (i) the term "promoter" shall have the same meaning as assigned to it in in clause (zk) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016).

		(ii) "project" shall mean a Real Estate Project (REP) or a Residential Real Estate Project (RREP). (iii) the term "Real Estate Project (REP)" shall have the same meaning as assigned to it in in clause (zn) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016). (iv) "Residential Real Estate Project (RREP)" shall mean a REP in which the carpet area of the commercial apartments is not more than 15 per cent. of the total carpet area of all the apartments in the REP. (v) This entry is to be taken to apply to all goods which satisfy the conditions prescribed herein, even though they may be covered by a more specific chapter/ heading/ sub heading or tariff item elsewhere in this notification.

2. This notification shall be deemed to be effective from 1st April, 2019.

[File.No Va Kar / GST / 03/ 2019]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Prashant Kumar,
Secretary-cum-Commissioner.

Note: - The principal notification No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 31, dated the 29th June, 2017 and last amended by notification No. 24/2018-State Tax (Rate), dated the 24th January, 2019, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 2, dated the 24th January, 2019.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
25 अप्रैल, 2019

अधिसूचना सं०. 8/2019- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं. 49 दिनांक 26 अप्रैल, 2019-- (अ).- झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की अनुशंसा पर, एस. ओ. सं. 31, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित, वाणिज्य-कर विभाग में झारखण्ड सरकार की अधिसूचना सं०. 1/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 में एतद्द्वारा और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची III-9% में, कॉलम (1) में क्रम संख्या 452P और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)
"452Q	कोई अध्याय	आरईपी के निर्माण हेतु किसी प्रोमोटर को किसी अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में अध्याय शीर्षक 2523 के अंतर्गत आने वाले पूंजीगत माल और सीमेंट के अलावा किसी माल की आपूर्ति जिस पर सा.का.नि.सं. _, दिनांक 29 मार्च, 2019 अधिसूचना सं०.7/2019- राज्य कर दर, दिनांक 26 अप्रैल 2019, में यथा निर्धारित, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप- धारा 4 के अंतर्गत माल की प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रोमोटर द्वारा कर अदा किया गया हो स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के उद्देश्य से- (i) "प्रमोटर" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेगूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 12) की धारा 2 की उपवाक्य (यट) में दिया गया हो। (ii) "प्रोजेक्ट" से अभिप्रायः किसी रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) या रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP) से है (iii) "रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP)" का वही अभीप्रायः होगा जो इसके लिए रीयल इस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट , 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के उपवाक्य (यढ) में दिया गया हो।

		(iv) "रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP)" का अभिप्रायः उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) से होगा जिनमें किसी वाणिज्यिक अपार्टमेंट्स का कारपेट एरिया उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) के सभी अपार्टमेंट्स के कुल कारपेट एरिया के 15% से अधिक न हो। (v) यह प्रविष्टि सभी वस्तुओं पर लागू किए जाने हेतु ली जानी है जो यहां दी गई शर्तों को पूरा करती है, चाहे वे इस अधिसूचना में कहीं और किसी अधिक विशिष्ट अध्याय/शीर्षक/उप शीर्षक या टैरिफ मद द्वारा कवर किए जाएं ।

2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2019 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/03/2019]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,
सचिव-सह-आयुक्त ।

नोट: - प्रधान अधिसूचना सं०. 1/2017 - राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 संख्या एस. ओ. सं. 31, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई और एस. ओ. सं. 2, दिनांक 24 जनवरी, 2019 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं०. 24/2018- राज्य कर (दर), दिनांक 24 जनवरी, 2019 द्वारा इसमें अंतिम संशोधन किया गया था ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 370 -- 50.